an>

Title: Regarding judicial reforms.

श्री हरीश मीना (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, किसी भी लोकतंत्र के सफलतापूर्वक चलाने के लिए तीन महत्वपूर्ण अंग- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं। विधायिका की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, ...(व्यवधान) कार्यपालिका की जवाबदेही सरकार के प्रति होती है, लेकिन न्यायपालिका की जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। ...(व्यवधान) यदि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा लोग पीड़ित हैं, तो वे न्यायपालिका की कार्यशैली से पीड़ित हैं। ...(व्यवधान)

पूरे देश में करोड़ों मुकदमें पेंडिंग हैं। जिस मुकदमें का निस्तारण एक वÂर्ष में होना चाहिए था, उसके निस्तारण में 20 वÂान लगते हैं। ...(व्यवधान) ये खुद का काम तो करते नहीं हैं और कार्यपालिका को कहते हैं कि आप यह कीजिए, विधायिका को कहते हैं, आप यह कीजिए, यह मत कीजिए। ...(व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एक ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस का गठन किया जाए। इनका सेलेक्शन और वर्किंग निÂपक्ष हो। ...(व्यवधान) हमें यह भी पता नहीं है कि कोई ज़ज कैसे बनता है। किसी ज़ज ने कब परीक्षा दी, कब किसने उसकी परीक्षा ली। ऐसा सुनने में आता है कि ज़ज का बेटा ज़ज बन गया, वकील का बेटा ज़ज बन गया, ऐसा है कि इन लोगों में से ही ज़ज बनते रहते हैं। ...(व्यवधान)

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि अतिशीघ्र ऑल इंडिया ज्यूडीशियल सर्विस का गठन किया जाए ...(व्यवधान) ताकि इस देश के लोगों को समय पर न्याय मिल सके और हमें न्यायपालिका के एकाधिकार से मुक्ति मिल सके। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सर्व श्री राहुल शेवाले, श्रीरंग आप्पा बारणे, सुनील कुमार सिंह, डॉ. सत्यपाल सिंह, अजय मिश्रा टेनी, राहुल कासवां, डॉ. मनोज राजोरिया, राघव लखनपाल, भैरों प्रसाद मिश्र, रोडमल नागर, कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, पी.पी. चौधरी, गजेन्द्र सिंह शेखावत और श्रीमती मीनाक्षी लेखी को श्री हरीश मीना द्वारा उठाये गये विÂषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।